भारतवर्षीय सोशल रिफार्म

के

इतिहास

पर एक

व्याख्यान ।

जिसको

बाबू माधोप्रसाद जी ने

नागरी-प्रचारिणी सभा के

सुबोध व्याख्यानों के

सम्बन्ध में दिया

और जो

ट्रेक्ट पबलिशिङ्ग फंड से

छापा गया ।

181R

काशी ।

लहरी प्रेस में मुद्रित ।

१९०५ ई.

महाशयो! किसी विषय के इतिहास वर्णन करने के समय यह बात ज़रूरी नहीं है कि उस विषय के इतिहास का खोजने वाला अपनी सम्मति और टिप्पणी साथही साथ देता जावे और न इस बात को ज़रूरत है कि वह उन घटनाओं पर अपना मत भी प्रगट करता जावे जिनको कि वह वर्णन कर रहा है। घटनाओं के समूह को इकट्ठा करके उसका वर्णन करना इतिहास है। हर एक विषय को विचारने के लिये इतिहास एक प्रकार का सहायक है और भविष्य के कामों में सम्मति स्थिर करने के लिये विचार वानों को इतिहासही मदद देता है। ऐतिहासिक घटनाएं नये और पुराने विचार वालों के लिये अधिक लाभदायक होती हैं। नये विचारवाले पुराने विचारवालों को आकर्षित करने के लिये उनके सामने ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमाण पेश करते हैं और पुराने विचारवाले नये विचारवालों को नई रोशनी से

चकाचौंध हुआ समझ कर विना ऐतिहासिक प्रमाण के उनपर विश्वास नहीं करते। इस विषय को शुरू करने के लिये जहांतक पुरानीसे पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं मुझको मिलेंगी वहीं से मैं प्रारंभ करूंगा।

सबसे पुरानी पुस्तक हमारे सामने वेद हैं। जो वेदों को मनुष्य कृत मानते हैं या जो ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं दोनों विचार वालों के लिये वेदही सब से पुरानी पुस्तक है। इस जगह मैं आपको इस बहस में नहीं डालना चाहता कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है या मनुष्य कृत। मैं जिस विषय के इतिहास को वर्णन करूंगा उसके लिये मैं देखता हूं कि दोनोंही विचार वालों से हमको मदद मिलती है, और यह नतीजा निकलता है कि वेदही सब से पुरानी पुस्तक है। बेशक एक तीसरे प्रकार के लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि यह वेद वेदही नहीं है लेकिन इन महाशयों ने अपनी पुष्टी के लिये ऐतिहासिक प्रमाण देने की तरफ ध्यान नहीं दिया है ~~इसलिये~~ मैं इस विचार को छोड़ता

हुआ और वेदों को सबसे पुरानी पुस्तक मानता हुआ अपने निवेदन की नींव वेदों ही के समय से स्थिर करने का उद्योग करूंगा ।

मैं इस इतिहास के ७ विभाग करता हूं यद्यपि इसके अन्तर्गत और भी विषय हैं लेकिन मुख्य २ विषयों पर आपका ध्यान दिलाऊंगा:—

(१) स्त्रियों की अवस्था और प्रभाव ।
(२) जाती भेद (३) टेम्प्रेंस (संयम्)
(४) विवाह की अवस्था (५) बिधवा विवाह
(६) सती की रीती (७) शुद्धी

स्त्रियों की अवस्था और प्रभाव ।

सबसे पहिले मैं स्त्रियों की अवस्था और उनके असर पर आपका ध्यान दिलाऊंगा जो कि सामाजिक जीवन को पूरा करने में पुरुषों के बराबर भाग लेती हैं और गृहस्थाश्रम के मिशन को अपनी स्थिति से पूर्ण करती हैं। वैदिक समय में स्त्रियों का दर्जा पुरुषों से कम न था जिस तरह से पुरुष ब्रह्मचारी बन सकता था उसी तरह से स्त्री भी ब्रह्मचारिणी होने का अधिकार रखती थी। अथर्वेद में यह लिखा

है "ब्रह्मचर्य्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्" अर्थात् कन्या ब्रह्मचर्य्य को सेवन करके युवा पती को प्राप्त होवे।

इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्रियां ब्रह्मचर्याश्रम के पूरा करने में पुरुषों के बराबर समझी जाती थीं, जब हम श्रौत सूत्रों को ओर ध्यान देते हैं तो स्त्रियों को यज्ञ में शामिल होने और अपने सम्बन्ध के मंत्रों के पढ़ने का भी अधिकारी पाते हैं एक स्थान पर श्रौत सूत्रों में आता है कि–"इमं मन्त्रं पत्नी पठेत" इस मंत्र को पत्नी पढ़े। प्राचीन काल में स्त्रियों को ब्रह्मज्ञानी होने का भी अधिकार था मैं आपके सामने याज्ञवल्क्य और मैत्री की कथा का सारांश पेश करता हूं जिससे यह नतीजा निकल सकता है कि प्राचीन काल में पुरुषों के समान स्त्रियां ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त कर सकती थीं।

जब याज्ञवल्क्य दूसरा आश्रम धारण करने को थे तो उन्होंने मैत्री से कहा कि 'कात्यायनी और तेरे बीच में सब बातें ठीक करदूं।' मैत्री कहती है 'मेरे स्वामी यदि धन भरी

हुई पृथ्वी मेरी होती तो क्या मैं उससे अमर होजाती?' याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 'धन से अमर हो जाने की आशा नहीं है।'

तब मैत्री ने कहा कि मैं ऐसी वस्तु को लेकर क्या करूंगी, मेरे स्वामी आप अमर होनेके विषय में जोकुछ जानते हो उसके बारे में कहिये तब याज्ञवल्क्य ने उस ज्ञान का उपदेश मैत्री को दिया जो उपनिषदों में भरा है। यह कथा साफ़ सिद्ध करती है कि उपनिषदों के समय में भी स्त्रियां शूद्र के समान नहीं समझी जाती थीं।

मिस्टर रमेशचन्द्रदत्त अपने लिखे "प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता के इतिहास" में लिखते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां सूक्त भी रचती थीं। स्त्रीयों के राज सभा और विद्वानों की सभा में शामिल होने के उदाहरण भी मिलते हैं, केवल राज सभा में जाने मात्रही का अधिकार नहीं था बल्कि पुरुषों के समान उनको प्रश्नादि करने का भी अधिकार था। क्या महाराजा जनक की सभा में जो गार्गी ने

याज्ञवल्क्य से प्रश्न किये थे उससे इस बात की पुष्टी नहीं होती कि स्त्रियां ऐसी २ बड़ी सभाओं में प्रश्न कर सकती थीं ?

जिस समय जनक ने यज्ञ किया और ब्राम्हणों से कहा आपलोगों में से जो सबसे बुद्धिमान हो वह इन हज़ार गउओं को (जिन की सोने से सींघ मढ़ी हुई थी) हांक लेजावे। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि इन गऊओं को हांक लेजाओ, उपस्थित ब्राम्हणों ने बड़ा क्रोध किया और प्रश्न पर प्रश्न याज्ञवल्क्य से किये इन प्रश्न करने वालों में एक स्त्री भी थी जिसका नाम गार्गी था और इसका भी उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया था, ऐसी कथाएं भारतवर्ष में स्त्रीयों की प्रतिष्टा के इतिहास को वर्णन करती हैं। दुनियां की प्राचीन जातियों में प्राचीन काल में शायद ही ऐसे उदाहरण मिलते हों।

स्त्रियों को सब प्रकार की विद्या पढ़ने का भी अधिकार था महाराज मनु एक जगह लिखते हैं।—

"स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण, नाना प्रकार की कारीगरी सब जगह से ग्रहण कर सकती है।" ऐतिहासिक घटनाएं इसकी पुष्टी भी करती हैं जिसमें से मैं एक आपको सुनाता हूं "जिस समय महाराज दशरथ लड़ाई में गये थे केकई भी साथ थी, लड़ाई के समय रथ का पहिया निकल गया केकई ने अपने बुद्धि बल से उसको दुरुस्त किया, यह उदाहरण प्राचीन काल में स्त्रियों के लड़ाई में सङ्ग रहने और समय पर रथ को दुरस्त करने के अतिरिक्त एक बात और भी सिद्ध करता है अर्थात् जो केकई ने दशरथ से प्रतिज्ञा करा ली थी उसको भी महाराज दशरथ ने पूरा किया, इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों के साथ प्रतिज्ञा का वैसा ही ख्याल रखा जाता था जैसा कि पुरुषों के साथ यद्यपि दशरथ को रामचन्द्र ऐसे पुत्र के वियोग तक का कष्ट उठाना पड़ा।

ब्रम्हचर्य आश्रम में स्त्रियों को पुरुषों के साथ बराबरी मैं पहले दिखला चुका हूं और अब

में प्राचीन काल में गृहस्थाश्रम में उनके बराबरी के दर्जे को प्रगट करूंगा, स्त्रिएं अपने पति की अर्धांगिनी गिनी जाती थीं, उनके मान मर्य्यादा का ध्यान भी रक्खा जाता था, उनके प्रसन्न रखने के लिये वाक्य भी मिलते हैं मनु जी एक स्थान पर लिखते हैं "जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस घर में विद्या युक्त पुरुष होके आनन्द को प्राप्त होते हैं, जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती है।" विवाह के समय जो पुरुष और स्त्री प्रतिज्ञाएं करते हैं आजकल यदि उनकी भाषा करके साथ २ सुना दिया जावे या वर और वधू उसके समझने की योग्यता और अवस्था रखते हों तो इस बात को भली भांति विचार लेंगे कि प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष में क्या सम्बन्ध चला आता है मैं नमूने के तौर पर प्रतिज्ञा के कुछ अंश को सुनाता हूं।

"हे वधू जैसे अन्न के साथ प्राण प्राण के साथ अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है वैसे तेरे हृदय और मन और चित्त

आदि को सत्यता की गांठ से बांधता हूं।" आगे चलकर फिर कहते हैं, "पति के घर के सुख को प्राप्त हो"।

तीसरे आश्रम याने वानप्रस्थ में भी पत्नी अपने पती का साथ देती थी और यज्ञ आदि में भी सहायता देती थी और इसी आश्रम तक स्त्री और पुरुष का साथ रहता है और इस आश्रम में भी शूद्र भाव या दासी भाव पत्नी के साथ नहीं होता था।

शास्त्रीय प्रमाणों के अतिरिक्त हमको इस विषय पर इतिहास से भी कुछ सहायता मिलती है।

महात्मा बुध एक ज़बरदस्त रिफ़ार्मर इस देश में हुए हैं उनके समय में भी जहां और कई बातों का रिफ़ार्म हुआ है वहां स्त्रियों की अवस्था का भी रिफ़ार्म हुआ है आर्थर लली ने बुध के जीवनचरित्र में लिखा है कि "स्त्रियों को मरदों के बराबर अधिकार स्थित रखने का प्रचार बुध देव ने किया" पाली भाषा की बुध धर्म्म की एक पुस्तक़ में वैशाखा नाम की एक

स्त्री का वर्णन है जिसका सत्कार एक खास त्योहार पर किया गया था, यद्यपि उसके तमाम रिश्तेदार वहां उपस्थित थे।

अशोक के समय में भी स्त्रियों को धर्म्म प्रचार का काम सौंपा गया था, महाराजा अशोक ने स्वयम अपनी लड़की को सिलोन याने लंका देश में बुध धर्म्म के प्रचार के लिये भेजा था। स्वामी शंकराचार्य के समय में भी स्त्रियों का मान कुछ घटा न था। शंकर स्वामी जिस समय मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए थे उस समय मंडन मिश्र और शंकर स्वामी के बीच मण्डन मिश्र की पत्नी मध्यस्त हुई थी और इस स्त्री ने अपने पति के परास्त होनेका फ़ैसला दिया था यद्यपि मण्डन मिश्र ने सन्यासी होने की शर्त लगाई थी, इस स्त्री ने अपने पती का सन्यासी होना स्वीकार किया परन्तु फ़ैसला देने में सत्यता का त्याग न किया इसके पीछे अर्धांगिनी होने के अधिकार से शंकर स्वामी से शास्त्रार्थ के लिये निवेदन किया और १७ दिन तक शास्त्रार्थ करती रही उसके पति

ने केवल ७ दिन तक शास्त्रार्थ किया था।

हाल के इतिहास में राजपूताना के स्त्रियों की वीरता आप लोगों पर प्रगट है मैं समय की संकीर्णता से उनके इतिहास के पन्ने आपके सामने नहीं उलटना चाहता, रानी झांसी अपनी वीरता की यादगार हमारे सामने छोड़ गई हैं, इन वीर स्त्रियों की वीरता और कीर्ति शूद्र और दासी भाव के विरुद्ध इतिहास को रोशन कर रही है॥

जाति भेद।

महाशयो अब मैं आप का ध्यान अपने दूसरे बिभाग अर्थात् जाति भेद की तरफ़ दिलाना चाहता हूं परन्तु इतना निवेदन फिर करदूंगा कि मत की बिभिन्नता एक भिन्न बात है और इतिहास एक भिन्न चीज़ है, मैं केवल इस जगह इतिहास ही कह रहा हूं।

यजुर्वेद ३१ अध्याय के ग्यारहवें मंत्र में ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्री बाहू से, वैश्य मध्य के भाग से और शूद्र का पैर से उत्पन्न होने का वर्णन है। इस मंत्र के अलंकार होने पर आज

कल के अंग्रेज़ विद्वान और कई विद्वान जिन्हों ने वेदों के भाष्य पर विचार किया है सहमत हैं।

महाशय मैक्समूलर, डाक्टर रोथ, स्वामी दयानन्द, मिस्टर रमेश्चन्द्र दत्त इस मंत्र को अलंकार ही मानते हैं, यदि इस मन्त्र को अलंकार न भी मानें तो भी आजकल के जाती भेद की तरह प्राचीन समय में जाती भेद नहीं पाया जाता।

वैदिक समय में जाती भेद आर्य्य और दसु का था, ब्राह्मण ग्रंथों के समय में भी आजकल की तरह जाति का विभाग नहीं हुआ था, ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है 'जब कोई क्षत्री किसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण का भाग खा लेता है तो उसकी संतान ब्राह्मण के गुण वाली होती है, यदि वैश का भाग खा लेवे तो वैश के गुण वाली संतान होगी और शूद्र का भाग लेलेता है तो संतान शूद्र के गुण की होगी' इस ब्राह्मण ग्रंथ में इलूषा के पुत्र कवश की कथा है जिसमें उसे और ऋषियों ने यह कहकर सत्र से निकाल दिया था कि एक धूर्त दासी का पुत्र जो

कि ब्राह्मण नहीं है हमलोगों में कैसे दीक्षित होगा परन्तु कवष पीछे से ऋषियों की श्रेणी में होगया। दूसरी कथा एक और भी ऐसी मिलती है जो सत्यकाम ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है, जिस समय सत्यकाम ब्रह्मचर्य्य आश्रम में जाना चाहता था माता से उसने प्रश्न किया कि मैं किस वंश का हूं माता उत्तर देती है कि मैं नहीं जानती कि तू किस वंश का है जिस समय मुझे दासी का काम करना पड़ता था उस समय तू मेरे गर्भ में आया था तेरे पिता का कोई पता नही है। जिस समय सत्यकाम गौतम हरिद्रुमत के पास गया और उनसे ब्रह्मचारी होने की इच्छा प्रगट की, गुरू ने पूछा मित्र तू किस वंश का है इसके उत्तर में उसने अपने माता के कहे हुए वृत्तांत को सुना दिया इस सत्यता को ही केवल देख कर गौतम ने उसको ब्रह्मचारी बना दिया यद्यपि सत्यकाम के पिता के नाम, वर्णादि का कोई पता न था।

राजा जनक ने जिस समय सीता का स्वयम्बर किया था उस समय स्वयम्बर की रीति के

अनुसार सब लोगों को धनुष तोड़ने का अधिकार दिया था उस अधिकार प्राप्त किए हुए लोगों में रावण और उसके संग के लोग भी थे।

बुध के समय में इस देश में जाति बन्धन प्रायः दूर हो गया था क्योंकि बुध ने जाति भेद को बड़े उद्योग से दूर किया और आपसकी छूत छात को तोड़ा था, बुध देव (practical) अमली रिफार्मर था उसने जो रिफार्म इस देश में किया उसका स्वयम नमूना दिखला दिया, एक समय बुध बड़ा प्यासा था एक गड़ेरिए के मकान पर पानी पीने के लिये गया गड़ेरिये ने पानी पिलाने से इन्कार किया और कहा कि मैं शूद्र हूं बुध ने उत्तर दिया कि सब मनुष्य बराबर हैं कोई नीच और ऊँच नहीं है और उसी के स्थान पर पानी पिया, बुधदेव की आज्ञाओं में एक जगह मिलता है कि "सब मनुष्य एक जैसे हैं जाती भेद बनावटी है, हानि पहुंचाने वाली और झूठे सिद्धान्त उसकी जड़ हैं" एक जगह फिर यह उपदेश उन्हीं का मिलता है कि "मनुष्यों के आपस में खाने पीने से धर्म

का सम्बन्ध नहीं है।"

शंकर स्वामी ने जो प्रायश्चित बुद्धों का किया है इस बात की साक्षी देता है कि शंकराचार्य्य को भी जातिभेद का ख्याल न था। उन्हों ने बौद्धों को हिन्दू धर्म्म स्वीकार करने पर यज्ञोपवीत पहिराया। गौतम मुनि ने भी अपने धर्म सूत्रों में आज्ञा दी है कि ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य के यहां भोजन कर सकता है।

गुरु नानक के समय की ओर जब दृष्टी दी जाती है, तो उस समय में भी इस किस्म का संशोधन हुआ है गुरु नानक स्वयम मक्का को गये उनको छूत छात का अधिक ख्याल न था उनके बाद गुरु गोबिन्दसिंह ने जो कि अंतिम गुरु कहलाते हैं जाति भेद को दूर किया उन्होंने एक यज्ञ में पांच छोटी जाति के लोगों को क्षत्री की पदवी दी और पञ्जाब में अभी तक सिक्खों में जो रिफार्म दिखलाई देता है वह इन्हीं महात्मा का किया हुआ है।

राजा राममोहन राय जिन्होंने कि इस देश में अंग्रेज़ी तालीम फैलने के थोड़ेही दिन

पहिले हरक़िस्म के रिफार्म के लिये बड़ा उद्योग किया था और बड़े२ कष्ट उठाये थे इस भारत वर्ष के प्रचलित जाति भेद के विरुद्ध ज़ोर से अपनी आवाज़ बलन्द की थी, इन्होंने ब्रह्म-समाज स्थापन किया जिसमें कि अभी तक तमाम जातियां समान समझी जाती हैं और आपस में खान पान और विवाह आदि होता है राजा साहब एक स्थान पर खुद लिखते हैं कि "हमारे अवनति का कारण यह है कि हम में जाति भेद है" स्वामी दयानंद के नाम से हम में कौन परचित नहीं है इस देश के सच्चे रिफा-मरों में इनका नाम भी किसीसे कम नहीं है, यह भी जाति भेद गुण, कर्म और स्वभाव ही से मानते थे ॥

टेम्परेन्स (संयम)

अब मैं तीसरे विषय-को शुरू करता हूं यानें टेम्परेंस के रिफार्म के इतिहास को आप के सामने पेश करूंगा कुछ लोगों का मत है कि वैदिक समय में सोम का इस्तेमाल होता था

परन्तु इसमें दो मत हैं स्वामी दयानन्द सोम को पुष्टीकारक औषधी बतलाते हैं और दूसरे लोग उसको नशे की चीज़ बतलाते हैं, जो कुछ हो मैं इस भेद को छोड़ता हूं लेकिन तंत्रों के समय में तो किसीको भी शुबहा नहीं हो सकता कि मदिरा इत्यादि का सेवन होता था, मुझको इस जगह यह निश्चय नहीं कराना है कि किस किस समय नशे की चीज़ों का प्रचार था मुझे केवल संशोधन के इतहास को दिखलाना है, जबकि इस देश में वाम मार्ग का बड़ा ज़ोर था और मदिरा का खूब प्रचार था तो उस के बाद बुध देव के उपदेशों ने बहुत बड़ा असर किया और वाम मार्ग का इस देश से प्राय नाश कर दिया। वैष्णव धर्म के प्रचार ने भी (Temperence) टेम्परेंस के काम में बहुत बड़ी मदद दी सोलहवीं शताब्दी में चैतन्य महात्मा के उपदेशोंने ख़ास तौर पर टेम्परेंस के काम को पुष्टी दी इनकी कार्मिष्ठ (अमली) जीवन लोगों को मोहित कर लेता था। सन १७९९ में (Mr. Wordsworth) मि० वर्डसवर्थ रंगून के

कलक्टर ने एक पत्र जिस पर बहुत से लोगों का दस्तख़त था गवर्नमेन्ट में भिजवाया कि शराब दिन दिन बढ़ती जाती है इसको रोकना चाहिये। सन १८८३ व १८८४ में एक कमीशन गवर्नमेन्ट ने मुकर्रर किया इससे साफ़ प्रगट है कि गवर्नमेन्ट की मसकिरात (नशे की चीज़ों) की पालिसी ने पचास फ़ी सदी आमदनी मसकिरात में बढ़ा दी।

मिस्टर केन ने जोकुछ काम किया है वह सब लोगों पर प्रगट है और इन्हीं महाशय के उद्योग से Anglo Indian Temperance association) एङ्गलोइण्डियन टेम्पेरेंस सभा विलायतमें कायम हुई जो हिन्दुस्तान की गवर्नमेन्ट की मसकिरात की पालसी का विरोध करती रही इसके सभापति मिस्टर स्मिथ (Mr Smith) हैं और इन्होंने एक प्रस्ताव पारल्यमेंट में पेश किया था जिसमें भारतवर्षीय गवर्नमेन्ट की मसकिरात की पालसी पर सख्त नाराज़गी प्रगट की थी। सरकारी मुलाज़िमों के विरोध पर भी उनको काम्याबी हुई।

गवर्नमेंटकेमसकिरातकी आमदनी जोहिन्दुस्तान में हुई है और जो साल साल बढ़ती जाती है यहां की पूरी अवस्था को प्रगट करती है मैं कुछ साल की आमदनी का टेबुल पेश करता हूं।

सन् १८७४ व ७५ की आमदनी		२६३२५०००
सन् १८८३ व ८४	,,	४२६०००००
सन् १८९४ व ९५	,,	५९४७५०००
सन् १८९८ व ९९	,,	६११९०५०००

इस देश में जो कुछ काम टेम्परेंस असोसीयेशनं ने उत्साह के साथ किया है वह हमलोगों पर प्रगट है मसकिरात की आमदनी बराबर बढ़ती ही जाती है यदि असोसियेशन की तरफ़ से रुकावट न की जाती तो शायदइस आमदनी में दुगनी व तिगनी तरक्की होती—

बङ्गाल में बा० बिपिनचन्द पाल ने टेम्परेंस के लिये बड़ा काम किया है और—

Worlds' Temperance cougress

बड़ी टेम्परेंस कांग्रेस जो विलायत में हुई थी उसमें यही महाशय प्रतिनिधि होकर गए थे इस प्रांत में मिस्टर श्यामजी कृष्णवर्म्मा और

बम्बई में मिस्टर जशवन्त जानीजी ने और आपके शहर में केशवराम महन्त ने बड़े ज़ोर से टेम्परेंस के लिये काम किया है।

विवाह की अवस्था ।

अब विवाह की उम्र जोकि चौथा नम्बर इस सिलसिले का है मैं शुरू करता हूं।

वेदों में ऐसे शब्द आये हैं जिनका अर्थ यह है "कि विवाह करने की अवस्था के चिन्हों को प्राप्त कर चुकी हो..............जिस कुमारी का अङ्ग प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुका हो" इससे यह नतीजा निकाल लेना कठिन न होगा कि वैदिक समय में कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकती थी तब उसका बिवाह किया जाता था, जब स्त्री युवावस्था में ब्याही जाती थीं तो पुरुष अवश्यही उससे अधिक उम्र होने पर ब्याहे जाते होंगे क्योंकि विवाह के समय में स्त्री से पुरुष की अधिक उम्र होने के कई सबूत मिलते हैं और जिसको आपलोग पूरे तौर से मानते भी हैं। प्राचीनकाल के स्वयम्बर की प्रथा भी बड़े उम्र में बिवाह होने को साबित करती

IMPERIAL LIBRARY

है, स्वयम्बर की प्रथा आपलोगों पर विदित है कि स्त्री वर को स्वयम चुन्ती थी और अपने चुने हुए पती के गले में जैमाल डालती थी।

अब आप इस प्रथा से भी सोच सकते हैं कि ८ वर्ष की लड़की जो गौरी है और ९ वर्ष की लड़की जो रोहनी है या १० वर्ष की लड़की कभी भी स्वयम्बर में आकर इस क़दर योग्यता नहीं रख सकती कि अपने पती को चुन सके।

हमारे देश में प्राचीन काल से अब तक विवाह ठीका नहीं समझा गया है, बल्कि आत्मिक सम्बन्ध माना गया है, इस सम्बन्ध को विवाह की प्रतिज्ञाएं सिद्ध भी करती हैं, यदि हम उन प्रतिज्ञाओं को नादानी और नासमझी की उम्र में दूसरों को पढ़ देने का द्वार बना कर स्वयम न करते हों परन्तु स्वयम प्रतिज्ञा करना और उसको ध्यान रखना तो बगैर बड़े उम्र के विवाह के नहीं हो सकता।

मैं पहिले 'स्त्रियों की अवस्था और प्रभाव' के भाग में स्त्रियों के ब्रह्म चारिणी होने के प्रमाण को दिखला चुका हूं।

जब हम ब्रह्मचर्य्य के व्यवस्था पर ध्यान देते हैं और यह भी सोचते हैं कि जिस समय इस प्रथा का प्रचार रहा होगा तो यह मानना पड़ेगा कि विवाह बड़े उम्र में अवश्य होता होगा।"

सुश्रुत जो वैद्यक की पुस्तक है उसमें भी एक स्थान पर लिखा है "यदि कोई मर्द २५ वर्ष की उम्र के नीचे १६ वर्ष से कम उम्रवाली स्त्री से सम्बन्ध करता है पहले तो गर्भ ही नहीं रहता अगर गर्भ संयोग से रह गया तो बच्चा जीवित नहीं रहता यदि जीवत भी रह जावे तो उसका जीवन मुर्दे के समान है।"

प्राचीनकाल में द्रोपदी, शकुन्तला, दमयन्ती के विवाह या स्वयम्बर बड़े उम्र के विवाह को सिद्ध करते हैं। अब भी भारतवर्ष में बहुत सी जातियों में लाचारी से बड़े उम्र में विवाह करना पड़ता है ऐसी जातें जिनमें अधिक धन लड़की वालों को देना पड़ता है लाचारी में बड़े उम्र में विवाह करती हैं।

छोटे उम्र के विवाह के वजह से गवर्नमेण्ट

को age of consent bill का क़ानून बनाना पड़ा इस रिफार्म के विरोध में अनपढ़ लोगों का साथ कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी दिया था परन्तु गवर्नमेण्ट ने इस क़ानून को जारी ही किया।

अब मैं आपके सामने सन् १८९१ की रिपोर्ट से एक टेबुल् पेश करता हूं जिसमें मैसूर और बरौदा राज के ध्यान को इस तरफ खींचा और बहुतसे पढ़े लिखे देश के हित चाहनेवालों के चित पर असर डाला यह नकशा केवल हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध का है।

चार वर्ष से नीचे उम्रवाले विवाहित लड़के
८९०५१

४ वर्ष से नीचे उम्र वाली विवाहित लड़कियां
२२३५६०-चार वर्ष से नीचे उम्र की विधवा
१०६४१.

५ वर्ष से ९ वर्ष के दर्मियान विवाहित लड़के
६०२०००

५ वर्ष से ९ वर्ष के दर्मियान विवाहित लड़कियां. १८५००००

५ वर्ष से ९ वर्ष तक की उम्र की विधवा ५२७५९
१४ वर्ष के नीचे मर्दों की तादाद जिनका वि
वाह हो चुका था २७२५१२४
१४ वर्ष के नीचे औरतों की तादाद जिनका
विवाह हो चुका था ६८७१९९९
१० से १४ वर्ष तक की विधवा १४३१००

सन् १८९४ में मैसूर राज ने एक क़ानून बनाया जिसमें ८ बर्स से कम उम्र लड़की की शादी करना व ५५ बर्स के ऊपर के मर्द की १४ बर्स से नीचे उम्र वाली लड़की से विवाह करना जुर्म ठहराया गया और सज़ा निश्चित की गई आप महाराज बरोदा के नाम से परचित हैं हाल में जो रिफार्म उन्होंने विवाह के सम्बन्ध में किया है वह भी पढ़ी लिखी मंडली से छिपा नहीं है खास कर हिन्दी पढ़े लिखे लोगों पर तो अच्छी तरह से प्रगट है क्योंकि बहुत से हिन्दी पत्रों के अति अंदोलन ने उनको सूचित कर दिया होगा लेकिन इस देश के देसी अंग्रेज़ी अख़बारों ने महाराजा साहब के हरएक रिफार्म में साथ दिया था, इसी सुधार के सं-

बन्ध में एक और रिफार्म इस देश में पढ़ी लि-
खी मंडली में क़रीब २ हो चुका है यह रिफार्म
अधिकस्त्रियों से विवाह करने के सम्बन्ध में है
बंगाल में कुलीन ब्राह्मणों के विवाह की रीति
आपने पढ़ी व सुनी होगी एक कुलीन ब्राह्मण
५०, ६०, ७०, ८०, १०० तक भी विवाह कर
लेता था और साल भर वह अपने ससुरालों में
जो गिनती में अधिक हुआ करती थीं बराबर
दौरा लगाया करता था जिस जगह अधिक
धन मिलता था उसी ससुराल में अधिक रहता
था। बाज़बाज़ विवाह ऐसे भी हुए हैं जो ८०
वर्ष के उम्र के लगभग बुड्ढे से ४ या ५ वर्ष
की लड़की से विवाह हुआ हैं। अनपढ़ मण्डली
में भी ऐसा अब कम करते हैं कि जिसके ५० या
६० विवाह हो चुके हों उससे अपनी लड़की
का विवाह करें। इस अधिक विवाह की प्रथा
के कम होने का ख़ास कारण राजा राममोहन
राय हैं। बंगाल में इनके प्रचार का बहुत बड़ा
असर हुआ; यद्यपि अब भी बंगाल के कुछ
देहातों में अधिक स्त्रियों से विवाह होता है

परन्तु १०० वर्ष के पेशतर की अवस्था में और अब बहुत बड़ा फर्क है जिसको कि आप सब लोग स्वीकार करेंगे।

एक तरफ बंगाल में राजा राममोहन राय की आवाज़ ने असर किया तो दूसरे तरफ़ हिन्दुस्तान के और भागों में स्वामि दयानन्द के उपदेशों ने भी विवाह के उम्र के विषय में बड़ा आनदोलन पैदा कर दिया है। अंग्रेज़ी पढ़ी लिखी मंडली तो दिल से करीब २ विवाह की उम्र को बढ़ाने के लिये मान चुकी है परन्तु संस्कृत के कुछ पंडित भी इस आनदोलन में शामिल होने लगे हैं, काशी के महामहोपाध्याय पंडित राममिश्र शास्त्री ने भी विवाह की उम्र बढ़ाने में उद्योग किया है। करीब २ बहुत सी कानफरेंस भी अपने जलसों में रेज़ोल्यूशन पास करती रहती हैं और अपनी २ बिरादरी का ध्यान दूसरे और संशोधनों के साथ २ इस तरफ़ भी खींचती रहती हैं।

बिधवा विवाह ।

पांचवां भाग मेरे आज के विषय का विधवा विवाह है। ऋगवेद मण्डल १० सूक्त ८५ मन्त्र ४९ में लिखा है 'कि हे पुरुष तू इस विधवा स्त्री को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्ययुक्त कर'। मिस्टर दत्त भी अपने बनाए इतिहास में कई जगह मन्त्रों के प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि वैदिक समय में बिधवा विवाह होता था वे वेदों से प्रमाण देते हैं और एक मन्त्र के अनुवाद को अपने मत की पुष्टी में दिखलाते हैं वह यह है 'ईश्वर करे ये स्त्रियां विधवापन के दुःखों को न सहैं, इन्हें अच्छें और मनमाने पति मिलें'। हमको इस जगह केवल ऐतिहासिक प्रमाण लेना है क्योंकि आज का विषय केवल इतिहास से संबन्ध रखता है। राजेन्द्रलाल मित्र ने भी एक लेख में लिखा है कि वैदिक समय में बिधवा विवाह होता था-प्रमाण के लिये ये २ शब्द पेश किये हैं।

(१) दिधिषु (वह मनुष्य जिसने बिधवा से विवाह किया हो)

(२) परपूर्व (वह स्त्री जिसने दूसरे पति से विवाह किया हो)

(३) पौनर्भव (दूसरे पति से उत्पन्न हुआ पुत्र)

निरुक्त में भी एक जगह लिखा है 'देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते। देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है। मनु के समय में भी विधवा विवाह का निषेध नहीं मालूम होता उनके वाक्यों से पूरा प्रमाण मिलता है वे एक जगह लिखते हैं 'तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः' आगे मनु ने एक जगह यह भी लिखा है "जिस स्त्री या पुरुष का पाणि ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ विवाह हो सकता है"। एक स्मृति में यह भी लिखा है 'यदि पति लापता हो जावे, मर जावे या जाति से अलग हो जावे' इसी तरह से पांच अवस्था बतलाई हैं जिनमें स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। यह सब प्रमाण प्राचीन काल के इतिहास को जो विधवा

विवाह से संबन्ध रखते हैं प्रगट करते हैं। बहुत सी ऐसी कथायें हैं जो प्राचीन काल में इस विषय से संबन्ध रखने वाली अवस्था को प्रगट करती हैं। नल और दमयंती की कथा इस प्रकार है, 'जब राजा नल का पता उसकी धर्म्म पत्नी दमयंती को न लगा तो उसने अपने पति के तलाश करने के लिये अपना दूसरा स्वयम्बर रचा जिस में बहुत राजे महाराजे इकट्ठे हुए थे। यदि दूसरे विवाह की प्रथा न होती तो ऐसे स्वयम्बरमें अन्य राजा महाराजा न इकट्ठा होते और विवाहित दमयंती से विवाह करने के लिये न आते।

महाभारत और अन्य पुराणों में भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। महाभारत में चित्रांगद और चित्रवीर्य्य की स्त्रियों ने नियोग से पुत्र उत्पन्न किया था। पद्म पुराण में भी लिखा है कि "काशी के एक राज कन्या का विवाह कई बार हुआ"।

इस रिफार्म के हाल के इतिहास की ओर जब दृष्टी डालते हैं तो सब से पहिले विद्या

सागर ने बंगाल में इस प्रथा के चलाने में उद्योग किया, उनकी जीवनी से पता लगता है कि इस संशोधन की धुन उनके माता के कारण से उनमें हुई थी। उनकी माता को एक बाल्य विधवा को देखकर बहुत दुःख हुआ था जिसपर उन्होंने अपने पुत्र विद्यासागर से कहा कि क्या शास्त्रों और पुराणों में पुनर विवाह की रीति का कहीं ज़िक्र नहीं है और इन विधवाओं के लिये कोई मार्ग नहीं है? जिसपर विद्यासागर ने बहुत से प्रमाण इकट्ठा किये और बड़ा आन्दोलन मचाया और कई विवाह अपनेही सामने कराये।

विधवाओं की भयंकर तादाद ने कई एक सोसाइटीयों और सभाओं का इस रिफार्म की तरफ ध्यान दिलाया है, यह भयंकर तादाद सन् १९०१ की मरदुमशुमारी से मैं आपको सुनाता हूं।

१ वर्ष के अन्दर की विधवा			१०६४
१ वर्ष से २ वर्ष तक की विधवा			१२१७
२	३	,,	२२७१
३	४	,,	४५१३

४ वर्ष से ५ वर्ष तक की बिधवा			१०४२२
५	१०	,,	१५७१८
१० वर्ष के उम्र तक की बिधवा			११६२८५
हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध			९४१०३
इसाई, मुसल्मान, पारसी, वगैरः			२११८२

कुल बिधवाओं की तादाद इस देश में अढ़ाई कड़ोड़ के लगभग है।

इस तादाद ने लोगों के चित पर किसी क़दर असर किया है और बिधवा विवाह के रिफार्म पर अब किसी कदर लोग ध्यान देते हैं, सब से अधिक साहस आर्य्य समाज ने या आर्य्य समाज के सभासदों ने लोगों को प्रेरणा करने में की है, परन्तु इनके अतिरिक्त सनातन धर्मावलम्बी महाशयों का ध्यान भी इस ओर होता जाता है। जहां बा० बख्तावरसिंहजी आर्य्य समाजी शाहजहांपुर में कामकर रहे हैं वहीं पं० शंकर ओतीलाल सनातन धर्माव लम्बी बड़े ज़ोर शोर से उद्योग कर रहे हैं, बम्बई प्रांत में सुधारक मण्डली व बंगाल में

ब्रम्ह समाज भी विधवा विवाह के लियेउ द्योग कर रही है। इस काम पर अधिक ज़ोर देने के लिये व प्रचार करने के लिये कई एक अख़-बार कई स्थानों से निकल रहे हैं।

पंजाब में विधवा विवाह सिखों में बुरा नहीं समझा जाता, मदरास प्रांत में भी विध-वाओं का विवाह बहुत हुआ है और अब दिन दिन इस ओर लोगों का ध्यान बढ़ता जाता है।

सती।

अब मैं सती के सुधार के संबन्ध के इति-हास को शुरू करता हूं जो कि आज के सिल-सिले का छठां भाग है, वैदिक समय में इस रस्म के होने का कोई पता नहीं लगता।

मिस्टर दत्त भी अपने बनाए इतिहास में लिखते हैं कि वेद के एक मन्त्र में "अग्रे शब्द को अग्ने करके मिथ्या अनुवाद किया गया है और यह वाक्य बङ्गाल में विधवाओं के जलने की आधुनिक रीति के प्रमाण में दिया गया है।"

प्रोफ़ेसर मैक्समूलर भी लिखते हैं "कि मिथ्या अनुवादित वाक्य के प्रमाणपर हज़ारों

जीव की आहुति दी गई"। इस रस्म के बहुत प्राचीन होने का सबूत नहीं मिलता इसलिये इस के रिफार्म का इतिहास भी बहुत प्राचीन काल से नहीं मिल सकेगा।

महाभारत के समय में भी इस रस्म ने पूरे तौर से तरक्की नहीं पाई थी क्योंकि जब हम पांडू के साथ माद्री के सती होने का प्रमाण पाते हैं तो उसी पांडू की स्त्री कुंती को पांडू के मरने के बाद जीवित रहने का प्रमाण भी पाते हैं।

चित्रांगद व चित्रवीर्य्य की स्त्रीएं जो महात्मा भीष्म की भावज थीं बिधवा होने पर अपने पति के साथ नहीं जलाई गईं बल्कि उन को राजवंश कायम रखने के लिये पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी गई।

मुसल्मानों के हिन्दुस्तान में आने के पहले यह रस्म यहां मौजूद थी। अलबूनी जो महमूद गज़नी के बादही आया था वह लिखता है कि औरतों को पति के मरने के बाद दोही बात कबूल करनी पड़ती थी बिधवा रहना या जल जाना। अलबूनी के लिखने से यह ज़ाहिर होता

है कि हर एक स्त्री का जलाया जाना ज़रूरी न था। सती की रस्म ने मुसल्मानों के राज्य के समय में अधिक तरक्की की, शायद लोगों ने इस राज्य में औरतों के मान मर्य्यादा का ख्याल करके इस रस्म का अधिक प्रचार किया हो परंतु फिर तो लोग आंख बंद करके पैरवी करने लगे और प्रायः यह होता भी है कि जिस बात को धनाढ्य पुरुष कबूल कर लेते हैं चाहे वह साधारण मनुष्य की तरफ से शुरू की गई हो उसकी पैरवी लोग करने लग जाते हैं, उसी तरह सती की रस्म ने भी ज़ोर पकड़ा था।

मैं आपको महात्मा शंखेश्वर की कहानी सुनाता हूं जो रीतियों के प्रचार पर घट सकती है। एक धोबी के पास एक गदहा था संयोग से उसके मकान के पास शिवाला था जब शिवाले में पूजा के समय शंख बजता था तो वह गदहा भी अपनी आवाज़ से स्वर मिलाता था धोबी ने समझा कि यह गदहा किसी महात्मा का औतार है जो पूजा के समय बोलता है, उस गदहे को वह धोबी बड़ी खातिर करने लगा

और उसका नाम भी महात्मा शंखेश्वर रक्खा, संयोग से वह गदहा मर गया, धोबी ने बड़ा शोक (गदहे के मरने) का मनाया अपना सिर व मोछ वगैरः मुड़वाया और क्रियाकर्म करने के लिये मोदी के यहां सामान लेने गया, मोदी ने धोबी से पूछा कि क्या कारण है जो तुमने भद्र कराया है? धोबी ने जवाब दिया कि तुम ने नहीं सुना, यहां एक महात्मा शंखेश्वर रहते थे वह मर गए हैं इस कारण से मैंने सिर मुड़वाया है, मोदी ने इस वृत्तांत को सुनकर अपना व अपने लड़कों का भद्र कराया, उस मोदी के यहां पलटन के सिपाही भी खाने का सामान खरीदने आया करते थे, सिपाहियों ने मोदी से भद्र कराने का कारण पूछा, मोदी ने कहा महात्मा शंखेश्वर जो इस जगह रहते थे वह बड़े पहुंचे हुए थे उनकी मृत्यु होगई है, सिपाहियों ने भी महात्माजी का शोक मनाया और भद्र कराया, फ़ौजी अफ़सरों ने भी सिपाहियों के भद्र कराने का हाल सुनकर सिर मुड़वाया यहां तक कि तमाम अफ़सरों ने यानें

वज़ीर ने भी सिर मुड़वाया, जब राजा को ख़बर मालूम हुई तो उन्होंने भी मुंडन कराया और हुक्म दिया कि महात्मा शंखेश्वरके शोकमें तमाम शहर के लोग सिर मुडवायें और स्त्रियें भी शोक करें, तमाम शहर में मातम शुरू हो गया और महल में रानियों ने भी मातम शुरू कर दिया, इन रानियों में से छोटी रानी बहुत होशियार थी जो राजा के मन चढ़ी हुई थी उसने साहस करके राजासे कहा कि मैं महात्मा शंखेश्वर के समाधी का दर्शन करना चाहती हूं क्योंकि मैंने उनका जीवित दर्शन नहीं किया है, और उनका स्थान कहां पर है? राजा सुन कर बहुत घबराये उनके स्थान व समाधी का पता नहीं मालूम था, वज़ीर बुलवाये गए, वज़ीर ने फ़ौज़ी अफ़सरों से पूछा, अफ़सरों ने सिपाहियों से पूछा, सिपाहियों ने मोदी से पूछा, मोदी ने धोबी का पता बतलाया क्योंकि किसी को भी महात्मा शंखेश्वर का पूरा वृतांत नहीं मालूम था, धोबी बुलवाया गया और दर्बार में जहां कि तमाम लोग महात्मा

जी के जीवन वृत्तांत सुनने के लिये उत्सुक थे पेश किया गया, धोबी ने शुरू से जीवनी महात्माजी की सुनाई, इस जीवनी को सुनकर तमाम लोग शरमिन्दः होगए" ।

इसी कहानी के अनुसार सती की भयंकर प्रणाली ने इस देश में ज़ोर पकड़ा और लाखों अबलाओं के जीवों की आहुती ली, यहांतक कि कहीं कहीं मुसल्मानों ने भी इस रिवाज को अपने यहां इस देश में जारी रक्खा। एक बेर जहांगीर बादशाह जा रहे थे रास्ते में देखा कि मुसल्मानी स्त्रियें अपने मुर्दा पत्ति के साथ गाड़ी जा रही थीं। और अकबर को भी बड़ा तअज्जुब था कि हिन्दू से मुसलमान हुए लोग भी सती की रस्म को अपने यहां कायम रखतेथे।

सती की रस्म के रोकने का ख्याल सबसे पहले मुसल्मान बादशाहों में अकबर को हुआ था और जहां तक मुझको वाक़फ़ियत है सती का पहला रिफ़ार्मर अकबर हुआ है। अकबर ने यह हुक्म दिया था कि बगैर अपने मर्ज़ी के कोई औरत न जलाई जावे। अंग्रेज़ी राज में

शुरू में इस रिफार्म पर बहुत लापरवाही ज़ाहिर की गई थी। लार्ड वेलज़ली के वक्त में इस रिफार्म की तरफ कुछ ध्यान दिया गया था, सन् १८०५ में किसी कदर छेड़छाड़ हुई, परन्तु बलवे के ख़्याल ने उस हिम्मत को दबा लिया, लार्ड अमहरस्ट ने कुछ वीरता दिखलाई थी याने सती में जब्र और ज़बर्दस्ती को रोका और मजिसट्रेटों के नाम हुक्म दिया गया कि वे रज़ामंदी की पूरी तहकीकात कर लिया करें, इसके अलावा गवर्नमेण्ट के तरफ से और भी चन्द तजवीजें काम में लाई गई। बिना पति के लाश के विधवा का जलना बन्द किया गया था, सर्कार में जायदाद भी ऐसे अवसर पर ज़ब्त होती थीं और यह इश्तहार दियागया कि जिन घरानों में सती होगी उनको सर्कारी नौकरी का हक़ नहीं रहेगा इस सख्ती पर भी इस नक्शे से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि सती का किस कदर ज़ोर था।

नाम शहर	सन् १८१५	सन् १८१६	सन् १८१७	सन् १८१८	सन् १८१९	सन् १८२०	सन् १८२१	सन् १८२२	सन् १८२३	सन् १८२४	सन् १८२५	सन् १८२६	सन् १८२७	सन् १८२८
कलकत्ता	२५३	२८९	४४२	५४४	४२१	३७०	३७२	३२८	३४०	३७३	३९८	३२४	३३७	३०९
ढाका	३१	२४	५२	५८	५५	५१	५२	४५	४०	४०	१०१	६५	४९	४७
मुर्शिदाबाद	११	२२	४२	३०	२५	२१	१२	२२	१३	१४	२१	८	२	१०
पटना	२०	२९	४९	१५७	४०	६२	६९	७०	४९	४२	४७	६५	५५	५५
बनारस	५८	६५	०३	१३७	९२	१०३	११४	१०२	१२[illegible]	९३	५५	४८	४९	३३
बरेली	१५	१३	१९	१३	१७	२०	१५	१६	१२	१०	१७	८	१८	१०
जोड़	३८८	४४२	७०७	८३९	६५०	६२७	६३४	५८३	५७५	५७२	६३९	५१८	५६०	५६४

सती की रस्म किसी कदर रोके जाने पर भी सन १८१५ से लेकर सन १८२८ तक याने १४ वर्ष में ६ शहरों में ८१३८ सती हुईं। आप लोग अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय इस रस्म की रुकावट न थी और तमाम हिन्दुस्तान में इसकी प्रथा थी तो कैसी भयंकर तादाद रही होगी। इन सतियों में से बहुत कम ऐसी स्त्रियां थीं जो खुशी से मुर्दा पती के साथ जलती थीं, बहुतसी लोक लाज के ख्याल से, बिधवाओं के साथ बुरे बर्ताव होने के खौफ़ से सती होती थीं, और बहुत ज़्यादा तादाद उनकी होती थी जो ज़बरदस्ती सती की जाती थीं। सती होने के समय चारों ओर से लोग बांस लिये खड़े रहते थे। कभी कभी स्त्री को लाश के साथ बांध देते थे और बाजा ज़ोर से बजाया जाता था कि जलती हुई स्त्री के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई न दे। सती होनेवाली औरतों को नशे इत्यादि की चीज़ें पहले से खिला दी जाती थीं। मैं दो एक उदाहरण इसके सुनाता हूं लेडी फन कानपूर के एक मशहूर खान्दान का

हाल लिखती हैं "एक औरत अपने मुर्दः खाविन्द के सर को गोद में लेकर सती होने के लिये चिता पर बैठी लेकिन जब आग ने ज़ोर किया तो बहुत रोकने पर भी वह गंगा में कूद पड़ी। लफ्टनेंट करनल स्लीमन बनारस के एक सती का हाल इसी तरह लिखते हैं कि एक औरत चिता से गङ्गा में कूद पड़ी, उसके जलाए जाने के लिये रईसों की तरफ से इसरार हुआ लेकिन मजिस्ट्रेट की अक़लमंदी से उसकी जान बची, बलवा तक हो जाने का डर था।

इस ज़बरदस्ती से सती किये जाने की तसदीक राजा राममोहनराय ने कई जगह की है इस रसम को जड़ मूल से नाश करनेवाला यदि कोई रिफ़ार्मर हुआ है तो वह राजा राममोहनराय हैं। इन्होंने जगह जगह लेकचर सती के खिलाफ़ दिये, पुस्तकें लिखीं, गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर दिलाया बल्कि कभी कभी वह गङ्गा किनारे जाकर सती होने से रोकते थे और समझाते थे। लोग राजा साहब को बुरा भला कहते थे और इनका घोर विरोध करते थे।

आप उस समय के विरोध और राजा साहब के काम को यदि गहिराई की निगाह से देखेंगे तो पूरे तौर से अन्दाज़ा लगा सकेंगे। जब कि इस देश में शिक्षा का नाम तक न था, अंधकार छाया हुआ था चारों ओर मुखालफ़त का बड़ा ज़ोर था, कानूनी पाबन्दी लोगों पर पूरे तौर से असर नहीं कर चुकी थी, ऐसे समय में इस All round reformer (चौतर्फ़ा संशोधन करनेवाले) याने राजा राममोहन राय ने ऐसी प्रचलित रीति को जिसको उठाने में बड़े बड़े हाकिम डरते थे जड़ मूल से नाश कर दिया। ४ सितम्बर १८२६ भारतवर्ष के इतिहास में एक यादगार है। लार्ड बेन्टिङ्क ने अपनी कौनसिल से सती की रस्म के बन्द होने का क़ानून पास किया, और इसी कानून से सती की रीति का अंत हुआ॥

शुद्धी।

अब आखीर विषय शुद्धी का है।

मशहूर शुद्धी इस देश में सब से पहिले शंकर स्वामी ने की थी, जिस समय यह देश

तमाम बौद्ध होगया था केवल कुछ थोड़ेसे शहर काशी, मथुरा वगैरः बच गए थे उस समय शंकर स्वामी को हिन्दू धर्म्म के रक्षा का ख्याल पैदा हुआ। उन्होंने अपने मिशन का प्रचार प्रारम्भ किया, बौद्धों का शुद्धी वे इस शर्त पर करते थे "यदि शास्त्रार्थ में मैं हार जाऊं तो बुध धर्म्म को स्वीकार करूं यदि बौद्ध लोग हार जावें तो हिन्दू धर्म्म को स्वीकार करें" इस शर्त से लाखों व करोड़ों बौद्ध को हिन्दू शंकर स्वामी ने किया उनकी शुद्धी का तरीक़ा इस प्रकार से था, केवल इतना ही कह देने से कि बौद्ध धर्म्म को छोड़ा और हिन्दू धर्म्म को स्वीकार किया, लोग शुद्ध कर लिये जाते थे।

गुरु नानक ने भी मर्दाना व बाला दो मनुष्यों को शुद्ध किया था उनके बाद गुरु गोबिन्दसिंहजी ने भी इस कार्य में पुष्टी दी और बहुतसी नीच जातियों के लोगों को शुद्ध करके ऊंच जाति की पदवी दी।

इन महात्माओं के अनुयायी सिक्खों ने भी शुद्धी बहुत सी की थी बल्कि पञ्जाब में एक

शुद्धी सभा कायम हुई थी जिसने कि बहुत से लोगों को शुद्ध किया था। पञ्जाब में मशहूर शुद्धियां महाराजा रणबीरसिंह कशमीर नरेश की की हुई हैं बल्कि एक प्रसिद्ध पुस्तक उन्हों ने बनवाई थी जिसमें तमाम काशी व मथुरा व कशमीर के बड़े बड़े पण्डितों की व्यवस्था मौजूद हैं। इस पुस्तक का नाम रणबीर प्रायश्चित कदम्ब है। स्वामि दयानन्द भी शुद्धी के पक्ष में थे उन्हों ने एक शुद्धी अपने हाथ से की थी जिन का नाम इस समय मुन्शी अलखधारीलाल है। आर्य्य समाज जो शुद्धियां इस समय कर रही है वह आप लोग रोज़ अखबारों में पढ़ते होंगे और शायद यह मान लेना अनुचित न होगा कि आगे चल कर सोशल रिफार्म के इतिहास में आर्य्य समाज का नाम बहुत ज़ियादः लिया जावेगा लेकिन शुद्धी के मसले को पूरे तौर से आर्य्य समाज ने भी अभी हल नहीं किया है और सब से अधिक कठिनाई शुद्ध किये हुए लोगों को जज़्ब करने में समाज को भी हो रही है, यह कठिनाई कुछ दिनों में बेशक दूर

हो जावेगी । इस रिफार्म का असर आर्य्य समाज के देखा देखी अन्य धार्मिक सोसाइटियों व समाजों पर (जोकि इससे विरोध रखती थीं) पड़ रहा है और इन समाओं ने प्रथम सीढ़ी पर पैर भी रखना शुरू कर दिया है और अपने में से कुछ काल के बिछड़े हुए लोगों को शामिल करना आरम्भ कर दिया है या शामिल करने के समय पर सहानुभूति प्रगट करने लग गए हैं ॥

महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध पेशवा व बङ्गाल के प्रसिद्ध चैतन्य स्वामी ने भी कई एक शुद्धी कीं हैं ।

महाशयो ! अब मैं थोड़ासा समय आप लोगों का ऐसे संशोधन के बयान करने में लूंगा जिसके लिये इतिहास में प्रायः जगह नहीं दी जाती यह छोटे छोटे रिफार्म हमारे जीवन की अवस्था को प्रायः परिवर्तन किया करते हैं और जिनको हम बहुत छोटी दृष्टी से देखा करते हैं, लेकिन यह परिवर्तन समूह में होकर बड़े बड़े परिवर्तनों के बराबर हो जाते हैं। कुछ काल

पहिले ऐसे लोगों की तादाद अधिक थी जो छींक होने और बिल्ली के रास्ता काटने पर अशगुन समझते थे, परन्तु अब आजकल की पढ़ी लिखी मण्डली इन बातों को घृणा की निगाह से देखती है जितने लोग अब इस जगह उपस्थित हैं उनमें से शायदही कोई महाशय होंगे जो छिपकिली के गिरने से अपनी बहुत बड़ी हानि समझते हों, बेशक ऐसे २ छोटे रिफार्म करने में उनके घर के बड़े बूढ़े रोकते हों लेकिन चित्त से लोगों का विश्वास इन छोटी बातों से अब दूर होता जाता है। संशोधन दो प्रकार से होता है एक तो स्वयम किया जावे, दूसरा समय के प्रवाह में हो जावे। समय का बहाव मानिन्द एक तेज़ नदी के धारा के है। यदि कोई मनुष्य नदी की धारा में पड़ कर अपने हाथ पैर मार कर निकलने की कोशिश करता है तो वह उत्तम है उस मनुष्य से जो धारा में बहता हुआ उसीके सहारे अपने को छोड़ देवे, क्योंकि धारा चाहे उस निरउद्यमी पुरुष को पत्थर की चट्टान से चूर चूर कर दे या किसी

गहिरी भँवर में डाल कर डुबा दे या ऐसे करारे दार किनारे पर पहुंचादे जिस जगह से उनको ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जावे। इसी प्रकार से जो लोग या जो जाति समय के बहाव में पड़ कर रिफार्म करती हैं उनके रिफ़ार्म में स्थिरता नहीं होती और न उस संशोधन का परिणाम ही उनको मालूम होता है। जो मनुष्य या जाति बहुत सोच विचार करके संशोधन करती है उसके परिणाम के अच्छे होने की सम्भावना है, क्योंकि वह सोच विचार कर किया जाता है बेशक हमलोग बहुत से सुधार समय के प्रवाह में पड़ कर कर रहे हैं और ऐसे संशोधन का तार, रेलगाड़ी अंग्रेज़ी दवा और पाइप का पानी वगैरः है लेकिन इन चीज़ों के सम्मिलन से जितना हम संशोधन करते हैं उतना इन चीज़ों के अतिरिक्त नहीं करते इसलिये यह संशोधन केवल समय के प्रवाह का है जिसकी स्थिरता में सन्देह है।

समय के प्रवाह से भी जो रिफार्म होता है उसका विरोध भी शुरू में किसी कदर होता

है लेकिन इसमें स्थिरता नहीं होती मैं मिसाल के तौर पर अपनी कहानी सुनाता हूं। मुझे याद है कि मैंने अपने मकान में पानी की कल बहुत जल्द लगाई थी करीब के महल्लों में किसी मकानदार ने उस समय इस ओर ध्यान नहीं दिया था बल्कि आपस में लोग इस पानी से धर्म्म में हानि पहुंचने की चर्चा किया करते थे और शायद इसी कारण से मुझको धर्म्म से पतित समझ लिया गया था, और इस पाइप के लगाने का बिरोध भी किसी कदर था लेकिन आज १० वर्ष के अन्दर आप अपने कानों से सुनते हैं कि फ़लां मकान में पाइप नहीं है इस से किरायदार नहीं बसते या एक दो रोज़ के लिये यदि पाइप का पानी बन्द हो जाता है तो किस कदर घबराहट लोगों में फैल जाती है और दर्ख्वास्त पर दर्ख्वास्त देते हैं।

इन छोटे २ संशोधनों का असर जीवन पर पड़ता रहता है और हरएक मनुष्य या जाती को हर समय ऐसे संशोधन, परिवर्तन की अवस्था में रखते हैं जो कि बिल्कुल बेमालूम अवस्था होती है लेकिन आखिर में एक मजबूत नतीजा पैदा होजाता है जो आगे चलकर इतिहास की सामग्री का काम देता है॥ इति॥